न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/ 23)

सीताराम पुत्र श्री सोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी वार्ड संख्या 07, तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर, जिला चूरू (राज.)

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओम प्रकाश चाण्डक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 18.11.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर तारानगर (चूरू) के निर्णय दिनांक 10.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 मुकेश ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खं. नं. 588/495 तादादी 0.4426 हेक्टेयर वाके रोही गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू में अपने 2/3 हिस्सा की कृषि भूमि पर भू राजस्व कर्मचारियो की टीम गठित कर पैमाइश करवाकर पत्थर गढी का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर सहायक कलक्टर तारानगर (चूरू) ने अपने निर्णय दिनांक 10.03.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार तारानगर को [illegible] किया कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करवाया [illegible] कर [illegible] खातेदारी कृषि भूमि खं. नं. 588/495 तादादी 0.4426 है[illegible] वाके रोही गोगटिया पट्टा चंगोई पटवार [illegible] तारानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:30 IST
Reason: SelfAttested

अति.संभागीय आयुक्त

की पत्थरगढी कर निशानदेही दी जावे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि कृषि भूमि गत खं. नं. 111 मिन जिसके बाद के खं. नं. 495 रोही गोगटिया पटटा चंगोई तहसील तारानगर मे स्थित रहा है, जिस कृषि भूमि के टुकड़े होकर खं. नं. 587/495 व 588/495 बने है, जिस सम्पूर्ण रकबे पर अपीलान्ट व इनके भाई का कब्जा चलता आ रहा है। इस भूमि का विवाद पूर्व में सहायक कलेक्टर तारानगर एवं अब राजस्व मण्डल अजमेर में कार्यवाही चल रही है। रेस्पोडेन्ट मुकेश ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 111, 128, 129 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खं. नं. 588/495 की पत्थरगढी व सीमाकंन करवाने बाबत प्रस्तुत किया, जिस प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट एवं इसके भाई जो कि चिपते खं. नं. 587/495 व 588/495 के खातेदार है उनको पक्षकार नही बनाया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा (Presentation) प्रजेन्टेशन नही किया हुआ है और ना ही प्रार्थना पर रिपोर्ट की गई है, तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04.03.2022 अंकित है, परन्तु ओडर शीट दिनाक 03.02.22 से शुरू की गई है। जब प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2022 को प्रस्तुत किया गया था तो ओडर शीट पहले केसे लिखी गई। ओडर शीट पर भी गलत तारीखे अंकित की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी तारानगर को प्रस्तुत किया गया परन्तु निर्णय सहायक कलक्टर तारानगर द्वारा पारित किया गया है। धारा 111, 128 मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहायक कलक्टर सुनवाई नही कर सकता है, भू अभि[illegible]ारी उपखण्ड अधिकारी होता है, इसके अलावा प्रार्थना पत्र [illegible]ाथ प्रस्तुत शपथ पत्र तस्दीक भी नही है। रेस्पोडेन्ट अपने प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में अंकित किया कि पडौसियान हमेशा [illegible] बाबत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते है जिस कारण प्रार्थी अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:30 IST
Reason: SelfAttested

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खेत के चारो और बाड़ वगैरह सही ढंग से से करना चाहता है जबकी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को पक्षकार भी नही बनाया, बिना पक्षकार बनाये अधीनस्थ न्यायालय से आदेश पारित करवा लिया। इसके साथ ही इसी मामले का प्रकरण राजस्व मण्डल में अजमेर में जैरकार है, जब मामला राजस्व मण्डल मे जैरकार था तो अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित नही करना चाहिए था। अतः अपीलान्ट को हितबद्व पक्षकार मानते हुए प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सहायक कलक्टर तारानगर जिला चूरू के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2022 को अपास्त किया जावें। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2017 पृष्ठ 289, RRD 2017 पृष्ठ 293, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 110—111, व धारा 136 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार तारानगर के संमक्ष प्रार्थना पत्र धारा 111,128 सीमाज्ञान खं. नं. 588 / 495 तादादी 0.4426 हेक्टेयर पर करने का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र सैक्शन 128 में किसी को सूचना देने का कोई प्रावधान नही है। दिनांक 01.02.2022 को मौके पर उक्त भूमि पर पैमाईश कर दी गई। उस सीमाज्ञान के आदेश को अपीलान्ट द्वारा चुनौति नही दी गई, वो सीमाज्ञान फाईनल हो गया। जहा रेस्पोडेन्ट की सीमा है वहा पर पत्थरगढी सरकार करती है, अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो मे किसी प्रकार की भूमि सीमाज्ञान से बाहर नही बताया गया है। अपीलान्ट जमीन के बारे में कुछ नही बता रहे है, मेरी जमीन से अपीलान्ट इन्कार नही कर रहे है, केवल तकनीकी आधार पर अपील लेकर आये है। पत्थर गढी एक समरी प्रोसिडिग है उसमे शपथ पत्र को तस्दीक करना जरूरी नही है। अगर अपीलान्ट की जमीन है तो वह संक्ष[illegible] में दावा पेश करे। अपीलान्ट इसी [illegible] में जैरकार बता रहे है जबकि अ[illegible] ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है ना ही अधीनस्[illegible]यायालय की पत्रावली में लगा हुआ है। अगर ऐसा कोई दस्तावेज है तो उसको पेश करने की जिम्मेदारी अपीलान्ट की है। इसके अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:30 IST
Reason: SelfAttested

अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर

दिनांक 25.03.2022 को उक्त भूमि पर पत्थरगढी भी कर दी गई है। पत्थरगढी सीमाज्ञान के अन्दर है तो अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल केसे हो गई। अपीलान्ट ने केवल तकनीकी व क्लेरिकल मिस्टेक को आधार बता कर अपील पेश की है। पत्थरगढी दिनांक 25.03.2022 को हो गई तथा अपीलान्ट ने अपील दिनांक 25.04.2022 को पेश की अर्थात अपील पेश होने से पूर्व पत्थरगढी हो गई। अपीलान्ट की अपील प्रभावहीन (Infructuous) हो चुकी है। अतः इसी आधार पर अपील खारिज की जावे। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दुष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होते है।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी तारानगर के समक्ष अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान लैण्ड रैवन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 04.03.2022 अंकित है परन्तु प्रार्थना पत्र पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतिकरण की कोई मार्किग नही है। प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर की गई रिपोर्ट पर कोई तिथि तथा दर्ज करने संम्बन्धी आदेश अंकित नही है, प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत शपथ पत्र पर दिनांक 04.02.2022 अंकित है तथा शपथ पत्र सत्यापित नही है। आदेशिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण सहायक कलक्टर मुकाम तारानगर की अदालत में दिनांक 03.02.22 को दर्ज किया गया है जिसमें आगामी तारीख पेशी 18.2.22 नियत की गई, दिनांक 18.2.22 को आगामी तारीख पेशी 2.3.22 दी गई, तत्तपश्चात दिनांक 2.3.21 की तिथि अंकित करते हुए पत्रावली पेश हुई P O साहब अन्य कार्यो में व्यस्त है मिसल दिनांक 10.3.20 को पेश हो, जिस पर रीडर के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात दिनांक 10.3.22 को प्रार्थना पत्र स्वी[illegible] हुए आदेश जारी किये गये, इस प्र[illegible] अधिकारी एवं रीडर की लापरवाही [illegible] प्रक्रिया [illegible] करने का मामला प्रकट होता है। सहायक कलक्टर को [illegible] राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:30 IST
Reason: SelfAttested

अति. संभागीय आयुक्त

प्राप्त नही है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे खं. नं. 588 / 495 तादादी 0.4426 हैक्टेयर को सयुक्त खातेदारी में 2 / 3 हिस्सा काबिज काश्तकार एव भूमि विवादित कृषि भूमि बताया है। संयुक्त खाते की भूमि पर अपने हिस्से तक पैमाईश व पत्थर गढी बिना सहकाश्तकारो की सहमति के सीमाज्ञान व पत्थर गढी के आदेश नही दिये जा सकते है, जबकि इस संबध मे यह भी अवलोकनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा दिनांक 10.3.2022 को पचास रूपये (50) के स्टाम्प पर असत्यापित शपश पत्र प्रस्तुत कर खसरा नं. 588 / 495 की उक्त भूमि को संयुक्त खातेदारी भूमि होना अंकित किया है इसके बावजूद भी सहखातेदारो को सुने बिना आदेश पारित किया गया । इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा दिनांक 18.04.2022 को प्रार्थना पत्र पेश करने पर बिना तहसीलदार तारानगर से निर्णय की पालना रिपोर्ट अथवा पुलिस बल की मांग के तहसीलदार तारानगर को पुलिस बल के साथ पत्थरगढी करने हेतु पत्र क्रमांक 5641 दिनांक 18.04.2022 लिखा एवं प्रतिलिपि थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर को तहसीलदार के समन्वय हेतु प्रेषित की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कथनानुसार विधिक प्रक्रिया की पालना किये बगैर मनमाना आदेश पारित किया गया है इनको कायम रखा जाना न्यायोचित नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर की अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर तारानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी तारानगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि उभय पक्ष को एवं सहखातेदारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित करे। साथ ही तत्कालीन पीठासीन [illegible] के प्रशिक्षण हेतु एवं रीडर के [illegible] प्रकरण जिला कलक्टर महोदय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:30 IST
Reason: SelfAttested

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:30 IST
Reason: SelfAttested